



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड  
शक्ति भवन, १४-अशोक मार्ग, लखनऊ-२२६००१  
UTTAR PRADESH RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.  
SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW-226001  
CIN: U40101UP1980SGC005065

फैक्स नं. 0522-2286643  
☎ नं. 0522-2218213

सं: 1650/मा0सं0प्र0-02/उ0नि0लि0/2015-21/मा0सं0प्र0-02/उ0नि0लि0/2005(टी0सी0)

दिनांक: 09 सितम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 2608/2011, यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य, में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.04.2012 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या: 8/4/1/2002टी0सी0-1का-2/2015 दिनांक 21.08.2015, जिसे उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल के अनुमोदनोपरान्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या: 1528/मा0सं0प्र0-02/उ0नि0लि0/2015-50-मा0सं0प्र0-02/2007 दिनांक 25.08.2015 द्वारा निगम की सेवाओं में लागू करने हेतु अंगीकृत किया गया है, तथा इस क्रम में शासन के ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या: 2202/24-पी-2-2015-सा0(130)/15 टी0सी0-2 दिनांक 26.08.2015 तथा आदेश संख्या: 2205/24-पी-2-2015-सा0(130)/15टी0सी0-2 दिनांक 27.08.2015 के अनुपालन में निगम में आमेलित/संविलीन निम्नलिखित स्तम्भ-2 में उल्लिखित कार्मिकों को "उ0प्र0 लोक सेवा(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994" की धारा-3(7) का लाभ प्रदान कर स्तम्भ-3 में उल्लिखित पद पर की गयी प्रोन्नति को निरस्त करते हुए उन्हें एतद्वारा स्तम्भ-4 में उल्लिखित पद पर भूतलक्षीय प्रभाव से पदावनत किया जाता है एवं उनके वर्तमान तैनाती परियोजना पर तैनात किया जाता है:

क्रम सं०	कार्मिक का नाम(सर्वश्री)/ पिता का नाम एवं वर्तमान तैनाती स्थल	दिनांक 15.11.1997 के पश्चात अधिनियम 1994 की धारा-3(7) के माध्यम से प्रदान की गई प्रोन्नतियों के पदनाम	स्तम्भ-3 में प्रदान की गई प्रोन्नति के निरस्तीकरण के उपरान्त धारित पद का नाम/ तैनाती परियोजना
1	2	3	4
1	रघुवीर सिंह स्व० पीता राम हरदुआगंज	आशुलिपिक(वि०श्रे०) आशुलिपिक ग्रेड- I आशुलिपिक ग्रेड- II	आशुलिपिक ग्रेड- II हरदुआगंज

2. पदावनति के फलस्वरूप उपरोक्त कार्मिकों का वेतन शासनादेश संख्या: 8/4/1/2002टी0सी0-1का-2/2015 दिनांक 21.08.2015 के प्रस्तर-6(ख) में दी गई व्यवस्थानुसार विनियमित/निर्धारित होगा।

3. मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित अवमानना याचिका सं०: 414/2015 में दिनांक 20.08.2015 को दिये गये निर्देश के अनुपालन में उपरोक्त पदावनत कार्मिकों को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जायेगा।

4. उपरोक्त के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत सभी संगत आदेश तदनुसार इस सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

निदेशक(कार्मिक एवं प्रशासन)

सं०: 1650/मा0सं0प्र0-02/उ0नि0लि0/2015, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- (1) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
- (2) निदेशक(कार्मिक एवं प्रशासन)/(तकनीकी)/(वित्त)/(परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
- (3) मुख्य अभियन्ता (स्तर- I/ II), अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा(झॉसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर) को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित कार्मिक के पोषक संवर्ग की एकल ज्येष्ठता सूची के क्रमानुसार अनुमन्य/धारित पद की संशोधित तिथि के अनुसार योगदान आख्या प्राप्त कर, उनकी सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि एवं संगत कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से निगम मुख्यालय को संज्ञानित करायेंगे।

